न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2022-231Ju2022-143 Jalaludin Ors Vs Sokat Ali etc

---

01. जलालूदीन पुत्र उमरदीन
02. कमालदीन पुत्र उमरदीन
03. जमालदीन पुत्र उमरदीन
    जातियान् मुसलमान-व्यापारी, निवासीगण- कसाई व्यापारियों का बास, फलोदी।
04. सलीम पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान-व्यापारी, निवासी- लोहारों का ढिका, नदीपार, फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. सोकतअली पुत्र जब्बारखॉ
02. चांद मोहम्मद पुत्र जब्बारखॉ
03. मोहम्मद हुसैन पुत्र जब्बार खॉ
04. सुलेमान पुत्र जब्बार खॉ
05. जमीला पुत्री जब्बार खॉ पत्नी लालू खॉ
06. फातमा पुत्री जब्बार खॉ पत्नी अकबर खॉ
07. नसीम पुत्री जब्बार खॉ पत्नी मोहम्मद अली
08. इमामी पुत्री जब्बार खॉ पत्नी बाबू खॉ
09. फरजाना पुत्री जब्बार खॉ पत्नी कालू खॉ
10. माफिया पुत्री जब्बार खॉ पत्नी मस्तान
11. समीम पुत्री जब्बार खॉ पत्नी हुसैन
    जातियान् मुसलमान, निवासीगण- वार्ड संख्या 2 कसाई व्यापारियों का बास, फलोदी, जिला जोधपुर।
12. समीम पुत्री जब्बार खॉ पत्नी हुसैन
13. उलफत पुत्री जब्बार खॉ जाति मुसलमान, निवासी- लोहारों का ढिका, नदीपार, फलोदी।
14. बिलाल पुत्र उमरदीन, निवासी- कसाई व्यापारियों का बास फलोदी।
15. आमदीन पुत्र अब्दुलहक, निवासी- कसाई व्यापारियों का बास, फलोदी।
16. आशिया पुत्री उमरदीन पत्नी समसुदीन कौम मुसलमान, निवासी- व्यापारियों का बास, बूसी जिला पाली।
17. गफूरन पुत्री उमरदीन कौम मुसलमान, निवासी- वार्ड नं.- 15, पाली, जिला पाली।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 01 जून 2022 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 42/2022 शोकत अली बनाम बिलाल इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री रोशन लाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पुष्पेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01से03, 05से07, 09, 10, 13, 15 से 18

नि र्ण य

दिनांक : 09 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 42/2022 शोकत अली बनाम बिलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 06 जून 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 से 13 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 525 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं. 526 रकबा 49.16 बीघा ग्राम फलोदी तहसील फलोदी के संबंध में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया, जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक से तेरह को सुनकर दिनांक 01 जून 2022 को रेस्पो./प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतरिम रुप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की गयी है। मुस्लिम विधि के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी

जीवित पुत्र व पुत्रियों का हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त होता है, जिसमें पुत्रों को पुत्रीयों से दुगुना हिस्सा प्राप्त होता है। इस कारण भी प्रत्यर्थीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण अपास्त निरस्त योग्य है। मुस्लिम विधि के अनुसार यदि पुत्री का देहांत पिता से पूर्व हो जाता है तो पुत्री के वारिसानों को किसी तरह का हक हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश खातेदार के विरुद्ध पारित किया गया है जो माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण आलोच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण के पक्ष में आमदीन द्वारा एक बैचाननामा निष्पादित किया गया है तथा जिस के नामांतरकरण की कार्यवाही भी लंबित है। वर्तमान में अपीलार्थीगण ही विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है। प्रत्यर्थी संख्या एक से तेरह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिंदुओं को अपने पक्ष में साबित नहीं किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों बिंदुओं की व्याख्या किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण भी आलोच्य आदेश अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 जून 2022 को अपास्त फरमावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट के अधिकार जरिये साक्ष्य दावे में सिद्ध होने है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स को सुनकर वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी

की गई है जो विधिक रुप से पोषणीय नहीं है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना ही हस्तगत अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलांट कोई अनुतोष चाहता है तो वह विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 14 व 15 वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 525 रकबा 0.0081 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी एवं खसरा नं. 526 रकबा 8.0613 हैक्टेयर के रेकर्डेड खातेदार है। मुस्लिम उत्तराधिकार विधि किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरांत उसके जीवित पुत्रों एवं पुत्रियों को हिस्सा उतराधिकार मे प्राप्त होता है तथा पुत्रों को पुत्रियों से दुगुना हिस्सा प्राप्त होता है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में स्वीकार किया है कि उनकी माता का देहांत उनके नाना के इंतकाल से पूर्व ही हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है तथा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अंतिम निस्तारण होना शेष है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्ष की समुचित कार अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 जून 2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दो माह की अवधि में निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23 दिसंबर 2022 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.12.2020

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर